न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
01/2018	16/01/2028	29/05/2023

राजेन्द्र पुत्र श्री रामगोपाल (माता कस्तूरी) जाति मीनानिवासी श्रीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र U/Ss. 144/W 151 Code of Civil Procedure:

यह कि प्रार्थी की माता श्रीमती कस्तूरी बाई पुत्री गोपीलाल जाति मीना निवासी ग्राम श्रीपुरा पटवार क्षेत्र प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की खातेदारी में 135 बीघा अर्थात् 50.61 स्टैण्डर्ड एकड भूमि दर्ज थी जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि संबोधित की गई है। कस्तूरी का निधन हो गया है एवम् प्रार्थी उसका एकमात्र विधिक प्रतिनिधि है।

यह कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की माता कस्तूरी के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिससे माननीय न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 2271/75 बउनवान सरकार बनाम कस्तूरी में दिनांक 23.04.1975 को निर्णित करते हुए कस्तूरी के खाते में 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि छोडते हुए शेष भूमि को अधिग्रहित करने का आदेश किया गया।

यह कि तदुपरान्त राजस्थान सरकार के राजस्व (सीलिंग) विभाग द्वारा दिनांक 16/07/1981 को सीलिंग प्रकरण रिओपन किया गया जिसमें Via Order Dated 26.06.1993 A.D.M. Kota And Order Dated 15/12/1995 & 22/12/1999 Board of Revenue Ajmer सम्पूर्ण 135 बीघा भूमि Surplus घोषित कर अवाप्त कर ली गई।

यह कि प्रार्थी की माता कस्तूरी बाई द्वारा A.D.M. Kota द्वारा पारित order dated 26.06.1993 तथा Board Of Revenue Ajmer द्वारा पारित Order Dated 15.12.1995 & 22.12.1999 सम्पूर्ण 135 बीघा भूमि Suolus घोषित कर अवाप्त करने के सम्पूर्ण आदेशों को Hon'ble Raj- High Court के समक्ष S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5048/2000 प्रस्तुत कर चुनौती दी गई।

Hon'ble Raj] High Court द्वारा S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5048/2000 दिनांक 24.07.2015 को स्वीकार किया जाकर A.D.M. Kota द्वारा पारित Order Dated

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

26.06.1993 तथा Board Of Revenue Ajmer द्वारा पारित Order Dated 15.12.1995 & 22.12.1999 को अपास्त कर आक्षेपित आदेशों से पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई।

यह कि प्रार्थी की माता कस्तूरी बाई माननीय न्यायलय द्वारा मिसल संख्या 2271/75 बउनवान सरकार बनाम कस्तूरी में पारित निर्णय दिनांक 23.04.1975 से 30 स्टैण्डर्ड एकड भूमि धारण करने की अधिकारी मानी जा चुकी है। इस प्रकार प्रार्थी Hon'ble Raj. High Court द्वारा S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5048/2000 में A.D.M. Kota द्वारा पारित Order Dated 26.06.1993 तथा Board of Revenue Ajmer द्वारा पारित Order Dated 15.12.1995 & 22.12.1999 को अपास्त कर दिये जाने के उपरान्त प्रार्थी उक्त आदेशों से अधिग्रहित ग्राम श्रीपुरा पटवार क्षेत्र प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की कृषि भूमि खसरा संख्या 36 रकबा 0.93 है0, खसरा संख्या 87 रकबा 0.43 है0, खसरा संख्या 140 रकबा 5.10है0, खसरा संख्या 171 रकबा 6.30है0 कुल खसरा 4 कुल रकबा 12.76है0 को स्वयं की खातेदारी मे दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है तदर्थ प्रथम परीक्षण न्यायालय होने से प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत है।

यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.1975 को पुनः स्थापित किया जाकर उक्त निर्णय दिनांक 23.04.1975 से प्रार्थी की स्व. माता कस्तूरी को RELEASE की गई उपरवर्णित भूमि पुनः प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज कर दखल दिया आकर Hon'ble Raj. High Court द्वारा S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5048/2000 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 की पालना की जानी न्यायहित में परम आवश्यक है।

यह कि प्रार्थना पत्र नियत न्याय शुल्क 1/– पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

यह कि माननीय न्यायालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्रथम परीक्षण न्यायालय होने से प्राप्त है।

अतः श्रीमान से विनय है कि Hon'ble Raj High Court द्वारा S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5048/2000 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 की पालना की जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 23.04.1975 को पुनः स्थापित किया जाकर प्रार्थी की स्व. माता कस्तूरी को RELEASE की गई ग्राम श्रीपुरा पटवार क्षेत्र प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की कृषि भूमि खसरा संख्या 36 रकबा 0.93 है0, खसरा संख्या 87 रकबा 0.43 है0, खसरा संख्या 140 रकबा 5.10है0, खसरा संख्या 171 रकबा 6.30है0 कुल खसरा 4 कुल रकबा 12.76है0 भूमि पुनः प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज कर दखल दिया जाने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.05.2023 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एस0एल0पी0 डायरी सं0 18040/2022 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 की प्रमाणित प्रति भी पेश की। प्रकरण में एस0एल0पी0 डायरी सं0 18040/2022 में पारित आदेश का अध्ययन करने पर स्पष्ट हुआ कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दायर एस0एल0पी0 रूपए 100000 अक्षरे एक लाख की कोस्ट पर खारिज कर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

दी है। प्रकरण में जवाब सरकार अप्राप्त है। जवाब सरकार के लिए पत्र जारी किया गया। दिनांक 29.05.2023 को जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है।

जवाब सरकार

1. बिन्दु संख्या 1 व 2 स्वीकार है।
2. बिन्दु संख्या 3 व 6 कानूनी बिन्दु है।
3. बिन्दु संख्या 7 व 8 माननीय न्यायालय से संबंधित होने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।

अतः ग्राम श्रीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2055–58 के खाता संख्या 7 में ख0न0 36 रकबा 0.93 है0, खसरा संख्या 87 रकबा 0.43 है0, खसरा संख्या 140 रकबा 5.10है0, खसरा संख्या 171 रकबा 6.30है0 कुल खसरा 4 कुल रकबा 12.76है0 भूमि कस्तूरी बैवा गोपीलाल जाति मीना नि0 श्रीपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, लेकिन नामा0 सं0 75 दिनांक 20.08.2000 से सम्पूर्ण भूमि सिवायचक (सीलिंग) अधिग्रहण की गई है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता सं0 01 में ख0न0 36रकबा 0.93 है0, खसरा संख्या 87 रकबा 0.43 है0, खसरा संख्या 140 रकबा 5.10है0, खसरा संख्या 171 रकबा 6.30है0 कुल किता 4 कुल रकबा 12.76है0 भूमि सीलिंग सिवायचक खाता सरकारदर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमि पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामगोपाल जाति मीना नि0 श्रीपुरा के कब्जे काश्त में जिसके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही जैरकार है। कस्तूरी राजेन्द्र की माता है। कस्तूरी के एकमात्र वारिस राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ही है। अतः रिपोर्ट उचित आदेशार्थ श्रीमान को सादर प्रेषित है।

अधि0 वादी द्वारा बहस की गई अधि0 वादी ने अपनी बहस में कहा कि वादी के पक्ष में S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5048/2000 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान पीठ जयपुर के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा एस0एल0पी0 डायरी सं0 18040/2022 दायर की गई थी। यह एस0एल0पी0 रूपए 100000 (अक्षरे एक लाख) की कोस्ट पर खारिज हो चुकी है। इस एस0एल0पी0 खारिज के आदेश दिनांक 03.01.2023 में उल्लेखित है कि "Having regard to the circumstances, we also leave it open for the petitioners to recover the amount of costs from the persons/officers rsponsible for protracting this litigation and sanctioning such frivolous petition without sufficient cause and without any justification." इससे स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस0एल0पी0 में दिए अपने निर्णय में एस0एल0पी0 को तुच्छ, अपर्याप्त कारणों के आधार पर एवं बिना किसी औचित्य के राज्य सरकार द्वारा दायर करना माना हे। मा0 उच्चतम न्यायालय के अभिमत से स्पष्ट है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार प्रार्थी के पक्ष में S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5048/2000 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.07.2015 अंतिम निर्णय है। जिसकी पालना श्रीमान उपखण्ड अधिकारी न्यायालय इटावा द्वारा की

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

जानी है। मुताबिक जवाब सरकार भी प्रार्थी/वादी ही प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का निर्विवाद अधिकारी है एवं मौके पर भी प्रार्थी का ही कब्जा है। मैंने बहस अधिवक्ता (प्रार्थी) सुनी जवाब सरकार एवं संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं मनन किया। माननीय उच्च न्यायालय के S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5048/2000 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 डायरी संख्या 18040/2022 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2023 के अनुसार अमल किया जाना उचित समझती हूँ। अतः तहसीलदार पीपल्दा को आदेश दिया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा की मिसल सं0 2271/75 बउनवान सरकार बनाम कस्तूरी में पारित निर्णय दिनांक 23.04.1975, S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 5048/2000 में मा0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 एवं एस0एल0पी0 डायरी सं0 18040/2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2023 के अनुसार प्रार्थी को ग्राम श्रीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता सं0 01 में ख0न0 36रकबा 0.93 है0, खसरा संख्या 87 रकबा 0.43 है0, खसरा संख्या 140 रकबा 5.10है0, खसरा संख्या 171 रकबा 6.30है0 कुल किता 4 की आराजी कुल रकबा 12.76है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। आदेश सरे इजलास पढ़कर सुनाया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

कियात्मक आदेश

तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम श्रीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता सं0 01 में ख0न0 36रकबा 0.93 है0, खसरा संख्या 87 रकबा 0.43 है0, खसरा संख्या 140 रकबा 5.10है0, खसरा संख्या 171 रकबा 6.30है0 कुल किता 4 की आराजी कुल रकबा 12.76है0 को प्रार्थी के खाते दर्ज कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार पीपल्दा को तहरीर जारी हो।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा